पत्र संख्याः 1/एल.टी.—1016 /2018—सा0प्र0—5046/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवामें,

भा.प्र.से. (बिहार संवर्ग) के सभी पदाधिकारी।

पटना—15, दिनांक 20.3.25

विषयः— एल टी सी आवेदन के संबंध में।

प्रसंगः— सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक—1/अनु.—1004 /2024—सा.प्र.—3449 दिनांक 28.02.2024 एवं पत्रांक—1/एल.टी. —1007/2024—सा.प्र.स—8018 दिनांक 21.05.2024.

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विभागीय पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि विभागीय पत्रांक—8018 दिनांक 21.05.2024 द्वारा राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारियों के एल टी सी आवेदन हेतु नया प्रपत्र परिचारित किया गया है।

साथ ही, विभागीय पत्रांक—3449 दिनांक 28.02.2024 द्वारा एल टी सी का आवेदन संबंधित विभाग / नियंत्री प्राधिकार के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को समर्पित किए जाने का निदेश भी पूर्व से परिचारित है।

2. इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि एल टी सी का आवेदन समय पर प्राप्त नहीं होने पर उनका निष्पादन विलंबित होता है। फलतः, एल टी सी के आवेदन को यात्रा की संभावित तिथि से कम—से—कम 7 (सात) दिन पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया जाना समीचीन होगा।

3. अतः अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अनुबद्ध पत्र/ प्रपत्र के अनुरूप एल टी सी के आवेदन यात्रा की संभावित तिथि से कम—से—कम 7 (सात) दिन पूर्व उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

20.3.25

सरकार के अवर सचिव।

2091\C:\Users\HP USER\Desktop\KK2024\Hindi Letter

पत्र संख्याः 1/एल0टी0 –1007/2024–सा0प्र0– 8018 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा
के सभी पदाधिकारी ।

पटना–15,दिनांक 21, मई, 2024

विषयः– रियायती छुट्टी यात्रा सुविधा (एल टी सी/ एच टी सी) के उपभोग के निमित्त आवेदन–प्रपत्र का निर्धारण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों द्वारा रियायती छुट्टी यात्रा सुविधा (एल टी सी/ एच टी सी) के उपभोग हेतु एक पृथक आवेदन–पत्र का निर्धारण किया गया है। सुलभ प्रसंगवश आलोच्य विहित प्रपत्र की प्रति संलग्न है।

2. अतः अनुरोध है कि रियायती छुट्टी यात्रा सुविधा के उपभोग हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन समर्पित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

विश्वासभाजन

21/5/2024

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1/एल0टी0 –1007/2024–सा0प्र0–8018/पटना–15, दिनांक 21.05.24

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विषयगत आवेदन–प्रपत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/2024

सरकार के अवर सचिव।

1127\C:\Users\HP USER\Desktop\KK2022\Hindi Letter

रियायती छुट्टी यात्रा सुविधा (L.T.C/ H.T.C) की स्वीकृति के लिए आवेदन–पत्र का प्रपत्र

(अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा के संदर्भ में)

1. सरकारी सेवक का नाम –
2. सेवा का नाम एवं बैच –
3. पदनाम –
4. सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि –
5. वर्तमान वेतन –
6. अस्थायी या स्थायी –
7. क्या पति/पत्नी नौकरी में हैं या नहीं। यदि है, तो क्या L.T.C. की सुविधा देय है तथा उनके द्वारा आवेदित ब्लॉक में कब–कब L.T.C. का उपभोग अपनी कैपेसिटी में किया गया है –
8. एच.टी.सी. के लिए घोषित गृह नगर –
9. <u>प्रस्तावित/उपभोगित एल.टी.सी. का विवरण</u>

   (क) एल.टी.सी. के तहत आवेदित सुविधा गृह नगर अथवा देश भ्रमण के लिए है (दोनों में से किसी एक के लिए एक दर्शनीय स्थल का नाम अंकित किया जाए) –

   (ख) किस ब्लॉक वर्ष के किस खंड वर्ष के लिए है –

   (ग) प्रस्तावित ब्लॉक में L.T.C. का उपभोग किया गया है या नहीं –

   (घ) गत ब्लॉक वर्ष (खंड वर्ष सहित) का नाम जिसमें L.T.C. का उपभोग किया गया है –

10. एल0टी0सी0 सुविधा के विरूद्ध पूरे सेवाकाल में कुल छः अवसरों पर 10–10 दिनों (अर्थात् पूरे सेवाकाल में कुल 60 दिनों के लिए) की उपार्जित छुट्टी के बदले आदेय राशि की सुविधा का लाभ अबतक कितनी बार लिया गया है –
11. आवेदन आसन्न नियंत्री प्राधिकार के माध्यम से समर्पित किया गया है अथवा नहीं। –

12. उन व्यक्तियों का नाम जिनके लिए L.T.C. की सुविधा दी जा रही है —

क्र.	नाम	उम्र	संबंध
1			
2			
3			
4			

13. परिवार के सदस्य, जिनके लिए एल.टी.सी. की सुविधा आवेदित है, सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हैं अथवा नहीं —

14. यात्रा प्रारंभ करने की संभावित तिथि/माह —

15. यात्रा करने का साधन (जैसे रेल, बस इत्यादि) —

16. अग्रिम की रकम —

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी से उपर्युक्त विवरणी सही है। यात्रा रद्द होने पर अग्रिम की राशि एक मुश्त वापस कर दूँगा/दूँगी।

दिनांक—

हस्ताक्षर

8(ग)-3

ई-मेल

पत्र संख्याः 1/अनु0–1004/2024–सा0 प्र0– 3449 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांकः 28-02-2024

विषयः– छुट्टी, मुख्यालय छोड़ने आदि का आवेदन विभाग/ नियंत्री प्राधिकार के माध्यम से समर्पित करने एवं इस निमित्त पूर्व निर्गत परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में ।

प्रसंगः– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–820 दिनांक 20.06.2012, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–336 दिनांक 07.01.2015, पत्रांक–9648 दिनांक 12.07.2016, पत्रांक–15395 दिनांक 04.12.2017 एवं पत्रांक–7674 दिनांक 20.05.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि छुट्टी, मुख्यालय छोड़ने के निमित्त सरकार स्तर से समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किए गए है। इस संबंध में विगत कुछ वर्षो में निर्गत परिपत्र(छाया प्रतियां संलग्न) निम्नवत् हैः–

विभाग का नाम/परिपत्र संख्या एवं दिनांक	दिशा–निर्देश से संबंधित विषय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ज्ञापांक–मं0मं0–01/मंत्रिपरिषद्–18/2011–820 दिनांक 20.06.2012	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को अवकाश की स्वीकृति
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1/अनु0–1041/2014–सा0प्र0–336 दिनांक 07.01.2015	जिला पदाधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1/सी0–1015/2016–सा0प्र0–9648 दिनांक 12.07.2016	भा0प्र0से0 पदाधिकारियों के आकस्मिक/प्रतिबंधित अवकाश आदि का संधारण
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1/अनु0–1041/2014–सा0प्र0–15395 दिनांक 04.12.2017	प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा जिला पदाधिकारियों को प्रदान किए जाने वाली छुट्टियों का ससमय संसूचन

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1/वि0–1012/2022–सा0प्र0–7674 दिनांक 20.05.2022	जिला पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले पत्र–व्यवहारों में संबंधित जिला पदाधिकारी के नाम तथा राज्य से बाहर की यात्रा के आवेदनों में गंतव्य स्थल का स्पष्ट अंकन

2. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भा0प्र0से0 पदाधिकारियों द्वारा एल0टी0सी0 सुविधा के उपभोग के आवेदन सीधे सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किए जाते है। साथ ही, विहित प्रपत्र में समर्पित किए जाने वाले उपार्जित छुट्टी के कुछेक आवेदनों में समक्ष नियंत्री प्राधिकार की अनुशंसा अंकित नहीं रहती है। फलस्वरूप, संबंधित विभाग/नियंत्री प्राधिकार के संज्ञान में लाए बिना समर्पित किए जाने वाले एल0टी0सी0 और उपार्जित छुट्टी के आवेदनों के अनुसार स्वीकृति विचारित होने पर संबंधित विभाग के कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

3. अतः, अनुरोध है कि छुट्टी और एल0टी0सी0 के आवेदनों को संबंधित विभाग/नियंत्री प्राधिकार के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाए और इस क्रम में अनुबद्ध परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाए।

अनु0:— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।